तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व ... अहकाम ... इस हुक्म ... तामील में ... हुए
6/3/26	पत्रावली पेश हुई। आज ... साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 9/3/26 को पेश हो।	
9/3/26	पत्रावली पेश हुई। आज ... साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 10/3/26 को पेश हो।	
10/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 L R Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय व आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। ...अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र स0—70 / 2025

प्रविष्टि दिनाक—03.04.2025

1. मदनलाल पुत्र रामकरण जाति खाती निवासी बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2. रामअवतार पुत्र रामकरण जाति खाती निवासी बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. रामजीलाल पुत्र रामकरण जाति खाती निवासी बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0

प्रार्थीगण

1. रविकुमार पुत्र मोहनालाल जाति महाजन निवासी ई ब्लॉक वार्ड नं. 1 , जयपुर
2. राजेश कुमार पुत्र हरिशंकर जाति महाजन निवासी बी—80 बजाजनगर जयपुर
3. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला—टोंक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट — प्रार्थी

पेरोकार सरकार— तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू—राजस्व अधिनियम

दिनांक 10/3/26.

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 154 / 40 रकबा 0.2023 हैक्टेयर खसरा नम्बर 154 / 51 रकबा 0.2529 हैक्टेयर वाके ग्राम बिडोली पटवार हल्का बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर के लगवा ही पश्चिम दिशा सिवायचक भूमि 154 / 1 स्थित थी प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 154 / 1 / 1 / 11 रकबा 15 बीघा जो प्रार्थीगण के पूर्वज केसरलाल वगैरह की खातेदारी की जमीन थी जिसकी तरमीम मोमिया भू सुधार शीट में सम्वत 1937—38 में हो रखा है। जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा उसकी खसरा नम्बर के पश्चिम दिशा में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154 / 1 / 1 / 11 भी इसी शीट में अंकित है जिसमें स्पष्ट रूप से सिवायचक भूमि पैन से अंकित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का वर्णन नामांतकरण संख्या 725 दिनांक 04.05.2001 में अंकित है और साथ ही कॉलम संख्या 14 में मिन नम्बरों की दुरूस्ती का नोट अंकित है जिसमें एसडीओ कोर्ट टोंक के आदेश व तहसील आदेश क्रमांक 27061 दिनांक 16.04.2001 की पालना में किया गया था। जिसकी प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें सम्वत 2055—2025 में खसरा नम्बर 154 / 1 / 1 / 11 रकबा 15 बीघा केसरलाल वगैरह खाती का अंकन है। उसके बाद खसरा नम्बर 154 / 1 / 1 / 11 का नामांतकरण संख्या 898 दिनांक 16.11.2010 द्वारा तकासमा करते हुये खसरा नम्बर 154 के बटा नम्बर डाल दिये गये। जिसका अंकन नामांतकरण रजिस्टर संख्या 898 दिनांक 16.11.2010 में अंकित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त प्रार्थीगण जमीन के लगवा ही खसरा नम्बर 154 / 1 है की सिवायचक जमीन है उस पर भी प्रार्थीगण का कब्जा रहा है जो खसरा गिरदावर काश्त सम्वत् 2057 की गश्त गिरदावरी में अंकित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 154 / 40 व 154 / 51 खसरा नम्बर 154 / 1 के लगावा आयी है और पास में ही पानी का नाला है परन्तु वर्तमान में राजस्व शीटो को ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 154 / 1 के स्थान पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान की तरमीम को बिगाडते हुये खसरा नम्बर 154 / 36 की तरमीम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवारी से मिलकर प्रार्थीगण की तरमीम को बिगाडते हुये सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 154 / 1 के स्थान पर तरमीम करवा ली जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी कही भी कब्जा काश्त नहीं रहा है उक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भू माफिया है जो मात्र सांठ गांठ करके बिना कब्जे की जमीने को लेकर उक्त गलत तरमीम करवायी है जिससे मौके पर विवाद होने की भारी आंशका हो गई जिससे सरकारी भूमि व प्रार्थीगण की भूमि को बदल दिया गया है जिससे मौके पर विवाद होने की भारी आशंका हो गई इसलिये वर्तमान राजस्व शीट की तरमीम को दुरूस्त करते हुये प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 154 / 50, 154 / 51 व सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154 / 1 की

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

तरमीम भू सुधार शीट सम्वत 2037–38 के अनुसार करवाया जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम प्रार्थीगण के पश्चिम में खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर करवाया जाकर राजस्व शीट में तरमीम दुरूस्ती किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम को दुरूस्त करते हुये प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 154/40, 154/51 व सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154/1 वाके ग्राम बिड़ोली की तरमीम भू–सुधार शीट सम्वत् 2037–2038 के अनुसार करवाया जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम प्रार्थीगण के पश्चिम में खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर करवाया जाकर राजस्व शीट में दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम वर्तमान शीट से हटाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र 136 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण 01व 02 से प्राप्त जवाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण खसरा नम्बर 154/1 के सम्बन्ध में तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है जबकि खसरा नम्बर 154/1 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई अधिकार निहित नही है। तथा खसरा नम्बर 154/36 अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जकाश्त की भूमि है जिसकी तरमीम पूर्व से ही पूर्व मालिक समय से ही भू–सुधार नक्शा शीट में स्पष्ट रूप से तरमीम है जिसमें किसी भी प्रकार से अप्रार्थी सं0 01 व 02 द्वारा कोई सांठ गांठ नहीं की गई है, बल्कि जिस स्थान पर पूर्व मालिक की तरमीम होकर खातेदार काबिज काश्तकार था उसी अनुरूप आज भी अप्रार्थी 01 व 02 पूर्ण रूपेण खातेदार काबिज मालिक स्वामी है। आवेदकगण के खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 154/40 व खसरा 154/51 जिसकी तरमीम नक्शा शीट में हो रखी है उसी स्थान पर आज भी तरमीम है। तथा खसरा नम्बर 154/36 की जिस स्थान पर पूर्व में भू–सुधार शीट के अनुसार तरमीम थी उसी अनुसार तरमीम आज भी मौके पर है। प्रार्थीगण द्वारा मान्य न्यायालय को गलत रूप से गुमराह करते हुये बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। विशेष आपत्तियां– खसरा नम्बर 154 ग्राम बिड़ोली में पूर्व में एक ही चक के रूप में भूमि स्थित थी जिसमें भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को भूमि आंवटित की जाकर कब्जा प्रदान कर नक्शा शीट में भूमि की तरमीम की गई थी। जिसमें से भूमि खसरा नं0 154/1/1/1 रकबा 08 बीघा भूमि पूर्व में गल्लू पुत्र माधोलाल जाति नाई को आवण्टित की गई थी। आवण्टित की जाकर कब्जा सुपुर्द कर भूमि की तरमीम की गई थी जिसके अनुसार वह खातेदार मालिक स्वामी चलता रहा है। जिसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिस के नाम खातेदारी में अंकित रही उसके पश्चात दिनांक 05.02.2014 को वारिसों ने उक्त भूमि खसरा नं0 154/36 रकबा 08 बीघा अप्रार्थी सं0 01 व 02 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया तब से अप्रार्थी 01 व 02 का 154/36 पर तरमीम के मुताबिक मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे है।

तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में शामिल पटवारी/भू.अ.नि. रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम बिडोली की जमाबंदी संवत् 2055–2058 में खसरा नम्बर 154/1/1/11 रकबा 15 बीघा भूमि वादीगण के दादाजी के नाम रिकॉर्ड में केसरलाल वगैरह के नाम से दर्ज थी। उक्त आराजियात के हाल ख0न0 154/40, 154/51, 154/41, 154/42 वगैरह थे। उक्त आराजियात के पश्चिम में मुताबिक शीट भू–सुधार संवत् 2037–2038 के अनुसार ख0न0 154/1/1/1 "सिवायचक" तत्समय रिकॉर्ड शीट में दर्ज था। जिस पर वादीगण का बदस्तूर कब्जा काश्त था। वर्तमान नक्शा शीट भू0 नक्शा डीआईएलआरएमपी शीट में ख0न0 154/40, 154/51 के पश्चिम दिशा में खातेदार रविकुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/2 महाजन सा0 ई, ब्लॉक वार्ड न0 1 जयपुर राजेश कुमार पुत्र हरिशंकर हिस्सा 1/2 महाजन सा0 बी–80 बजाज नगर जयपुर के नाम वर्णित ख0न0 154/36 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि की तरमीम राजस्व कार्मिको द्वारा की गई है। जो विधिवत नहीं है। भू–नक्शा शीट ऑनलाईन में ख0न0 154/40, 154/19, 154/51 व ख0न0 154/9 के पश्चिम दिशा व ख0न0 154/33 की उत्तरी पूर्वी मेड तक ऑनलाईन शीट में ख0न0 154/36 दर्ज है उसके स्थान पर 154/1 दर्ज किया जाना उचित है व ख0न0 154/1 भू नक्शा

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

शीट में अंकित है उक्त ख0न0 154/1 के स्थान पर 154/36 भू नक्शा शीट में शुद्ध किया जाना उचित होगा। तहसीलदार निवाई द्वारा अंकित किया गया है कि मुताबिक सुपुर्दगीनामा ही तरमीम दुरूस्त किया जाना विधि सम्मत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित ख0न0 154/1 के स्थान पर 154/36 भू नक्शा शीट वाके ग्राम बिडोली की तरमीम तहसीलदार निवाई में शामिल पटवारी/भू.अ.नि. रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाव में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 मय हर्जे–खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थना–पत्र में वर्णित ख0न0 154/1 के स्थान पर 154/36 भू नक्शा शीट में वाके ग्राम बिडोली की तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा, नकल लटठा शीट अनुसार किये जाने की सहमति प्रदान की। पेरोकार सरकार ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 154/36 का सुपुर्दगीना शामिल पत्रावली है जो गल्लू पुत्र मोधोलाल के नाम आवंटित हुई थी तथा मुताबिक सुपुर्दगीनामा के खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम मूल खसरा नम्बर 154 में उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए थी लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम मूल खसरा नम्बर 154 के मध्य में स्थित है जो कि मुताबिक सुपुर्दगीनामा नहीं है एवं ना ही मौके पर खसरा नम्बर 154/36 के पूर्व खातेदारों अथवा वर्तमान खातेदारों का कब्जा है अपितु खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम के स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर मकान बाड़े इत्यादि बने हुये है। वर्तमान में खसरा नम्बर 154/1/1/1 रकबा 08 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 154/36 है तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है खसरा नम्बर 154/1/1/1 के सुपुर्दगीनामा के स्थान पर भी वर्तमान पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है जिससे खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम खसरा नम्बर 154/1 एवं खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं जवाब अप्रार्थीगण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके ग्राम बिड़ोली के वर्तमान खसरा नम्बर 154/36 के पूर्व खसरा नम्बर 154/1/1/1 दर्ज रिकॉर्ड थे। खसरा नम्बर 154/1/1/1 की तरमीम पत्रावली में उपलब्ध भू–सुधार शीट में वर्तमान खसरा नम्बर 154/1 के स्थान पर दर्ज होना प्रतीत होता है। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 154/1/1/1 वर्तमान खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भू–सुधार शीट के मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

खसरा नम्बर 154/36 के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध सुपुदर्गीनामा के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक सुपुर्दगीनामा दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

रिपोर्ट पटवार हल्का बिड़ोली एवं भू.अ.नि. बनस्थली की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक शीट भू–सुधार संवत 2037–2038 के खसरा नम्बर 154/1/1/1 सिवायचक दर्ज था। जिस पर वादीगण का बदस्तुर कब्जा काश्त था। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम मुताबिक कब्जे काश्त दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 154/40, 54/51, व सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154/1 वाके ग्राम बिड़ोली की तरमीम भू–सुधार शीट सम्वत् 2037–2038 के अनुसार करवाया जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम प्रार्थीगण के पश्चिम में खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर करवाया जाने राजस्व शीट में दुरूस्त किये जाने तथा खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम वर्तमान शीट से हटाये जाने एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि बहस पेरोकार के तथ्यो से स्पष्ट है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण स्वंय खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम के स्थान पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये है जिससे न्यायालय अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक समझे। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर खसरा नम्बर 154/1 एवं खसरा नम्बर 154/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम किया जाना न्यायोचित बताया गया है। न्यायालय वाके ग्राम बिड़ोली पटवार हल्का बिड़ोली के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 154/36 के स्थान पर खसरा नम्बर 154/1 एवं खसरा नम्बर 154/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम दर्ज करना उचित समझता है जिससे खसरा नम्बर 154/1 सिवायचक के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु प्रार्थीगण को सिवायचक भूमि पर काबिज रहने से उनके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को आंशिक रूप से सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः रिपोर्ट पटवार हल्का बिड़ोली एवं भू.अ.नि. वनस्थली, एवं बहस पैरोकार सरकार के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम बिड़ोली पटवार हल्का बिड़ोली तहसील निवाई के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम के स्थान पर खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम एवं खसरा नम्बर 154/1 की तरमीम के स्थान पर खसरा नम्बर 154/36 की तरमीम दर्ज करे एवं राजकीय सिवायचक भूमि 154/1 पर अतिक्रमी प्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 10/3/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई